

राजस्थान के सिरोही जिले में अनुसूचित जनजाति का पंचायतीराज चुनाव 2015 और 2020 का तुलनात्मक अध्ययन

भरत कुमार

शोधार्थी, माधव विश्वविद्यालय, आबूरोड, सिरोही, राजस्थान

सारांश

यह अध्ययन सिरोही जिले में पंचायतीराज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों की स्थिति का विश्लेषण करता है, जिसमें वर्ष 2015 और 2020 के बीच की तुलना प्रस्तुत की गई है। प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पंच और सरपंच जैसे जमीनी स्तर के पदों पर महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, जिससे सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सफलता झलकती है। वहीं, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य जैसे मध्य और शीर्ष स्तर के पदों पर महिलाओं की भागीदारी में गिरावट दर्ज की गई है, जो चिंता का विषय है। इस अध्ययन में सामने आया है कि कुल प्रतिनिधित्व में लगभग 4.7% की वृद्धि हुई है, किंतु नेतृत्वात्मक पदों पर महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। यह दर्शाता है कि यद्यपि समावेशिता की दिशा में कुछ प्रगति हुई है, फिर भी नीति-निर्माण और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ठोस प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है। यह अध्ययन संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने में सहायक हो सकता है तथा भविष्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को स्थानीय शासन में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने हेतु सशक्त बनाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

मुख्य शब्द: पंचायतीराज, अनुसूचित जनजाति, सिरोही, राजनीतिक सहभागिता, जनजातीय सशक्तिकरण

1. परिचय

भारत में पंचायतीराज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देना और हाशिए पर स्थित समुदायों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना है (मीना, 2019)। राजस्थान के सिरोही जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उल्लेखनीय है, यहां गरासिया, भील और मीणा प्रमुख जनजातीय समूह हैं। ऐसे में स्थानीय शासन में इन समुदायों की भागीदारी का अध्ययन विशेष महत्व रखता है (सिंह और शर्मा, 2018)।

प्रस्तुत शोध पत्र सिरोही जिले में अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में पंचायतीराज चुनाव 2015 और 2020 का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. सिरौही जिले में अनुसूचित जनजाति के पंचायतीराज प्रतिनिधियों की भागीदारी के पैटर्न का विश्लेषण करना।
2. पंचायतीराज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में 2015 से 2020 के बीच आए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
3. जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व में आए बदलावों का मूल्यांकन करना।
4. पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण की चुनौतियों और संभावनाओं का आकलन करना।

2. साहित्य समीक्षा

पंचायतीराज और आदिवासी समुदायों पर पिछले अध्ययनों की समीक्षा से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिलती है। कुमार और मीणा (2017) ने अपने अध्ययन में पाया कि पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था ने जनजातीय समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है, लेकिन सार्थक भागीदारी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। भाटिया (2018) के अनुसार, अधिकांश जनजातीय पंचायत प्रतिनिधि शैक्षिक और प्रशिक्षण संसाधनों की कमी का सामना करते हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमित होती है।

राजस्थान के संदर्भ में, चौधरी और सिंह (2019) ने अपने शोध में पाया कि राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं में जनजातीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रभावी भागीदारी के लिए सामाजिक-आर्थिक बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं। मेहता (2020) के अनुसार, राजस्थान में जनजातीय महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उनके नेतृत्व को पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं द्वारा अक्सर सीमित किया जाता है।

सिरौही जिले के विशिष्ट संदर्भ में, रावत और पालीवाल (2021) ने अपने अध्ययन में इस क्षेत्र में गरासिया जनजाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के पैटर्न का विश्लेषण किया है। उनके अनुसार, जिले में पंचायत प्रतिनिधियों के रूप में जनजातीय भागीदारी में वृद्धि हुई है, लेकिन सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां प्रभावी नेतृत्व को बाधित करती हैं।

हालांकि, मौजूदा साहित्य में सिरौही जिले में अनुसूचित जनजाति के पंचायतीराज चुनाव 2015 और 2020 का विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण अभी तक अपर्याप्त है, जिसे यह अध्ययन संबोधित करने का प्रयास करता है।

3. शोध पद्धति

3.1 अध्ययन क्षेत्र

राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित सिरौही जिला 5,136 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जिले की कुल जनसंख्या 10,36,346 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2,90,713 (28.05%) है (भारत की जनगणना, 2011)। जिले में प्रमुख जनजातीय समूहों में गरासिया, भील और मीणा शामिल हैं। सिरौही जिले में 5 पंचायत समितियां (आबूरोड, पिंडवाड़ा, रेवदर, शिवगंज और सिरौही) और 171 ग्राम पंचायतें हैं (राजस्थान पंचायतीराज विभाग, 2020)।

3.2 आंकड़ा संग्रह

इस अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से आंकड़े एकत्र किए गए हैं:

1. **प्राथमिक आंकड़े:** सिरोही जिले के विभिन्न पंचायतों से 200 प्रतिनिधियों (100 प्रतिनिधि 2015-20 अवधि से और 100 प्रतिनिधि 2020-25 अवधि से) का साक्षात्कार और सर्वेक्षण किया गया। इसमें सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य शामिल थे। संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके डेटा एकत्र किया गया, जिसमें उनकी पृष्ठभूमि, राजनीतिक अनुभव, चुनौतियों और उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न शामिल थे।
2. **द्वितीयक आंकड़े:** राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जनगणना विभाग और सिरोही जिला प्रशासन से आधिकारिक आंकड़े एकत्र किए गए। इसमें निर्वाचन परिणाम, जनसांख्यिकीय आंकड़े और विकास सूचकांक शामिल थे।

3.3 विश्लेषण पद्धति

एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण मिश्रित पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करके किया गया:

1. **मात्रात्मक विश्लेषण:** चुनाव परिणामों, प्रतिनिधित्व पैटर्न और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का वर्णनात्मक और अनुमानित सांख्यिकीय विश्लेषण। इसमें प्रतिशत परिवर्तन, भागीदारी दर और प्रतिनिधित्व सूचकांक की गणना शामिल थी।
2. **गुणात्मक विश्लेषण:** साक्षात्कार और फोकस ग्रुप डिस्कशन से प्राप्त जानकारी का विषयगत विश्लेषण। इसमें प्रमुख चुनौतियों, उपलब्धियों और प्रभावशीलता के पैटर्न की पहचान शामिल थी।

4. परिणाम और विश्लेषण

4.1 जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

सिरोही जिले में अनुसूचित जनजाति के पंचायतीराज प्रतिनिधियों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का विश्लेषण तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1: सिरोही जिले में अनुसूचित जनजाति के पंचायतीराज प्रतिनिधियों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल (2015 और 2020)

विशेषताएं	2015 (%)	2020 (%)	परिवर्तन (%)
लिंग			
पुरुष	62.4	55.1	-7.3

महिला	37.6	44.9	+7.3
आयु वर्ग			
21-35 वर्ष	32.3	38.7	+6.4
36-50 वर्ष	48.9	46.2	-2.7
51 वर्ष और अधिक	18.8	15.1	-3.7
शैक्षिक स्तर			
निरक्षर	18.7	12.3	-6.4
प्राथमिक	29.5	26.8	-2.7
माध्यमिक	34.2	37.4	+3.2
उच्च शिक्षा	17.6	23.5	+5.9
व्यावसायिक पृष्ठभूमि			
कृषि	64.8	58.2	-6.6
स्वरोजगार	12.7	16.9	+4.2
सरकारी नौकरी	8.3	9.1	+0.8
अन्य	14.2	15.8	+1.6

स्रोत: पंचायतीराज विभाग, राजस्थान और प्राथमिक सर्वेक्षण, 2022

तालिका 1 से स्पष्ट है कि 2015 से 2020 के बीच महिला प्रतिनिधियों के अनुपात में 7.3% की वृद्धि हुई है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक प्रगति दर्शाता है। युवा प्रतिनिधियों (21-35 वर्ष) की भागीदारी में भी 6.4% की वृद्धि हुई है। शैक्षिक स्तर के संदर्भ में, निरक्षर प्रतिनिधियों की संख्या में 6.4% की कमी आई है, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त प्रतिनिधियों में 5.9% की वृद्धि हुई है। यह शैक्षिक स्तर में सुधार का संकेत देता है। व्यावसायिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में, कृषि पर निर्भर प्रतिनिधियों में 6.6% की कमी आई है, जबकि स्वरोजगार में लगे प्रतिनिधियों में 4.2% की वृद्धि हुई है, जो आर्थिक विविधीकरण का संकेत देता है।

4.2 प्रतिनिधित्व पैटर्न

सिरोही जिले में अनुसूचित जनजाति के पंचायतीराज प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व पैटर्न का विश्लेषण तालिका 2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2: सिरोही जिले में अनुसूचित जनजाति के पंचायती राज प्रतिनिधित्व का तुलनात्मक विश्लेषण (2015 बनाम 2020)

क्रम संख्या	पद का नाम	कुल पद (2015)	एसटी प्रतिनिधि (2015)	प्रतिशत (2015)	कुल पद (2020)	एसटी प्रतिनिधि (2020)	प्रतिशत (2020)	प्रतिशत परिवर्तन
1	जिला परिषद सदस्य	21	7	33.3%	21	7	33.3%	0.0%
2	प्रधान	5	2	40.0%	5	1	20.0%	-20.0%
3	पंचायत समिति सदस्य	89	33	37.1%	89	25	28.1%	-9.0%
4	सरपंच	162	66	40.7%	171	66	38.6%	-2.1%
5	पंच	1,744	482	27.6%	1,751	539	30.8%	+3.2%
6	कुल प्रतिनिधि	2,021	590	29.2%	2,037	658	31.9%	+2.7%

स्रोत: राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, 2015 और 2020

मुख्य अवलोकन और विश्लेषण:

1. जिला परिषद सदस्य

- प्रतिनिधित्व स्थिर: 2015 और 2020 दोनों में ST प्रतिनिधियों की संख्या 7 ही रही, जो कुल 21 पदों का 33.3% है।

- अर्थ: इस स्तर पर ST समुदाय का प्रतिनिधित्व स्थिर है, न तो वृद्धि हुई और न ही कमी।

2. प्रधान

- गंभीर गिरावट: 2015 में ST समुदाय के 2 प्रधान थे (40.0%) जबकि 2020 में केवल 1 (20.0%)।
- अर्थ: यह -20% की गिरावट दर्शाता है जो संकेत करता है कि इस स्तर पर अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी में कमी आई है।

3. पंचायत समिति सदस्य

- प्रतिनिधित्व में कमी: 2015 में 33 ST सदस्य (37.1%), जबकि 2020 में यह घटकर 25 (28.1%) रह गए।
- अर्थ: पंचायत समिति में भी ST प्रतिनिधित्व 9% कम हुआ, जो असमान प्रतिनिधित्व की ओर इशारा करता है।

4. सरपंच - ग्राम पंचायत प्रमुख:

- संख्या स्थिर, प्रतिशत में हल्की गिरावट: ST सरपंचों की संख्या 66 पर स्थिर रही, लेकिन कुल पदों में वृद्धि (162 से 171) के कारण प्रतिशत 40.7% से घटकर 38.6% हो गया।
- अर्थ: संख्या में बदलाव नहीं हुआ, पर समग्र प्रतिशत में हल्की कमी दर्शाती है कि नए पदों पर ST का कब्जा कम हुआ।

5. पंच

- सकारात्मक रुझान: 2015 में 482 ST पंच (27.6%) थे जो 2020 में बढ़कर 539 (30.8%) हो गए।
- अर्थ: यह एक सकारात्मक संकेत है कि स्थानीय स्तर पर ST की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

6. कुल प्रतिनिधित्व

- कुल वृद्धि: 2015 में कुल 590 ST प्रतिनिधि (29.2%) थे, जो 2020 में बढ़कर 658 (31.9%) हो गए।
- परिवर्तन: कुल प्रतिनिधित्व में +2.7% की वृद्धि दर्ज की गई है।

4.3 जनजातीय महिला प्रतिनिधित्व

तालिका 3: सिरोही जिले में अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों की स्थिति (2015 और 2020)

पद	अनुसूचित जनजाति महिला प्रतिनिधि (2015)	अनुसूचित जनजाति महिला प्रतिनिधि (2020)	परिवर्तन (%)
जिला परिषद सदस्य (21)	3	4	+4.8%
प्रधान	1	0	-20.0%
पंचायत समिति सदस्य	17	11	-4.8%
सरपंच	34	37	+1.9%
पंच	186 (38.6%)	236	+6.1%
कुल	241	288	+4.7%

स्रोत: राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, 2015 और 2020

तालिका 3 से स्पष्ट है कि 2015 से 2020 के बीच अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व में समग्र रूप से 4.7% की वृद्धि हुई है।

- जिला परिषद सदस्य के रूप में 1 प्रतिनिधि की वृद्धि हुई (3 से बढ़कर 4) — 4.8% की वृद्धि।
- प्रधान पद पर 1 महिला प्रतिनिधि घट गई — 20% की गिरावट।
- पंचायत समिति सदस्य में 6 की गिरावट (17 से 11) — 4.8% की गिरावट।
- सरपंच पदों पर 3 की वृद्धि हुई — 1.9% की वृद्धि।
- पंच पदों पर 186 से बढ़कर 236 महिला प्रतिनिधि हुए — 6.1% की वृद्धि।

4.4 चुनौतियां और बाधाएं

सिरोही जिले में अनुसूचित जनजाति के पंचायतीराज प्रतिनिधियों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों और बाधाओं का विश्लेषण तालिका 4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4: अनुसूचित जनजाति के पंचायतीराज प्रतिनिधियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां (2015 और 2020)

चुनौतियां	2015 (%)	2020 (%)	परिवर्तन (%)
शैक्षिक बाधाएं	68.5	57.2	-11.3

प्रशासनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान न होना	72.3	63.8	-8.5
वित्तीय संसाधनों की कमी	78.6	74.2	-4.4
सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं	64.2	58.7	-5.5
राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप	57.8	53.4	-4.4
भाषा और संचार की बाधाएं	53.6	48.1	-5.5
स्थानीय नौकरशाही से अपर्याप्त सहयोग	62.4	57.3	-5.1
प्रशिक्षण की कमी	76.2	65.8	-10.4

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण, 2022

तालिका 4 से स्पष्ट है कि 2015 से 2020 के बीच अनुसूचित जनजाति के पंचायतीराज प्रतिनिधियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी प्रमुख चुनौतियों में कमी आई है। सबसे अधिक कमी शैक्षिक बाधाओं (11.3%) और प्रशिक्षण की कमी (10.4%) में देखी गई है। हालांकि, वित्तीय संसाधनों की कमी (74.2%) अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

4.5 प्रभावशीलता और उपलब्धियां

सिरोही जिले में अनुसूचित जनजाति के पंचायतीराज प्रतिनिधियों की प्रभावशीलता और उपलब्धियों का विश्लेषण तालिका 5 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5: अनुसूचित जनजाति के पंचायतीराज प्रतिनिधियों की प्रभावशीलता और उपलब्धियां (2015-2020)

सूचकांक	2015-19	2020-22	परिवर्तन (%)
ग्राम सभा की बैठकों में भागीदारी (%)	48.6	62.3	+13.7
विकास परियोजनाओं की शुरुआत (औसत संख्या)	3.2	4.7	+46.9
आवंटित बजट का उपयोग (%)	68.5	76.3	+7.8
जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं में सुधार (%)	42.3	58.7	+16.4
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार (%)	38.6	53.2	+14.6
पेयजल सुविधाओं में सुधार (%)	45.2	64.5	+19.3

सड़क और संचार नेटवर्क में सुधार (%)	43.8	59.6	+15.8
रोजगार सृजन की पहल (औसत संख्या)	2.4	3.8	+58.3

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी रिपोर्ट, 2022

तालिका 5 से स्पष्ट है कि 2015-19 की तुलना में 2020-22 की अवधि में अनुसूचित जनजाति के पंचायतीराज प्रतिनिधियों की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ग्राम सभा की बैठकों में भागीदारी में 13.7%, विकास परियोजनाओं की शुरुआत में 46.9%, आवंटित बजट के उपयोग में 7.8% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं में 16.4%, स्वास्थ्य सेवाओं में 14.6%, पेयजल सुविधाओं में 19.3% और सड़क और संचार नेटवर्क में 15.8% का सुधार दर्ज किया गया है। रोजगार सृजन की पहल में 58.3% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

5. चर्चा

5.1 जनजातीय प्रतिनिधित्व में बदलाव

सिरोही जिले में 2015 से 2020 के बीच अनुसूचित जनजाति के पंचायतीराज प्रतिनिधित्व में सकारात्मक परिवर्तन देखे गए हैं। कुल प्रतिनिधित्व में 5.4% की वृद्धि हुई है, जो जनजातीय समुदायों के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परिणाम चौधरी और सिंह (2019) के निष्कर्षों के अनुरूप है, जिन्होंने राजस्थान में जनजातीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि का उल्लेख किया था।

विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जनजातीय महिलाओं के प्रतिनिधित्व में 4.9% की वृद्धि, जो मेहता (2020) के अध्ययन के अनुरूप है। 2015 में पहली बार एक जनजातीय महिला को प्रधान के पद पर चुना गया, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह परिवर्तन महिला आरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता और बदलते सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है (गुप्ता और जोशी, 2022)।

5.2 प्रभावशीलता में सुधार

अध्ययन से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति के पंचायतीराज प्रतिनिधियों की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विकास परियोजनाओं की शुरुआत में 46.9% और रोजगार सृजन पहलों में 58.3% की वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये परिणाम रावत और पालीवाल (2021) के निष्कर्षों से आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने केवल प्रतिनिधित्व की वृद्धि का उल्लेख किया था, लेकिन प्रभावशीलता के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी थी।

पेयजल सुविधाओं (19.3%), शिक्षा सुविधाओं (16.4%) और स्वास्थ्य सेवाओं (14.6%) में सुधार दर्शाता है कि जनजातीय प्रतिनिधि अपने समुदायों की बुनियादी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह प्रवृत्ति वर्मा (2018) के अध्ययन के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने पाया था कि हाशिए के समुदायों के प्रतिनिधि अक्सर सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

5.3 चुनौतियों में कमी

2015 से 2020 के बीच जनजातीय प्रतिनिधियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों में कमी आई है, विशेष रूप से शैक्षिक बाधाओं (11.3% की कमी) और प्रशिक्षण की कमी (10.4% की कमी) में। यह परिवर्तन सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पहलों का परिणाम हो सकता है (पांडेय और जोशी, 2021)।

हालांकि, वित्तीय संसाधनों की कमी (74.2%) अभी भी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, जो भाटिया (2018) के निष्कर्षों के अनुरूप है। इसके अलावा, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के ज्ञान की कमी (63.8%) और स्थानीय नौकरशाही से अपर्याप्त सहयोग (57.3%) अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जो उचित ध्यान देने की आवश्यकता है।

5.4 शैक्षिक और आर्थिक परिवर्तन

प्रतिनिधियों की शैक्षिक प्रोफाइल में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है, निरक्षर प्रतिनिधियों में 6.4% की कमी और उच्च शिक्षा प्राप्त प्रतिनिधियों में 5.9% की वृद्धि हुई है। यह परिवर्तन जनजातीय समुदायों में शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार को दर्शाता है, जैसा कि श्रीवास्तव और यादव (2020) ने अपने अध्ययन में उल्लेख किया है।

व्यावसायिक पृष्ठभूमि में भी बदलाव देखा गया है, कृषि पर निर्भर प्रतिनिधियों में 6.6% की कमी और स्वरोजगार में लगे प्रतिनिधियों में 4.2% की वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति आर्थिक विविधीकरण और गैर-कृषि आधारित आजीविका अवसरों के विकास का संकेत देती है (सिंह और मिश्रा, 2021)।

6. निष्कर्ष और सिफारिशें

निष्कर्ष

सिरोही जिले में 2015 से 2020 के बीच पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी के आँकड़े दर्शाते हैं कि:

1. कुल महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है – 2015 में 241 महिला प्रतिनिधि थीं, जो 2020 में बढ़कर 288 हो गईं, अर्थात् 4.7% की वृद्धि।
2. जिला परिषद सदस्य के पद पर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की संख्या में वृद्धि (3 से 4) को सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।
3. प्रधान पद पर महिलाओं की भागीदारी में गिरावट आई है, जहाँ 2015 में 1 प्रतिनिधि थी और 2020 में कोई नहीं। यह एक चिंताजनक पहलू है जो नेतृत्व स्तर पर प्रतिनिधित्व की कमी को दर्शाता है।
4. पंचायत समिति सदस्य के पद पर भी प्रतिनिधियों की संख्या 17 से घटकर 11 हो गई है, जिससे मध्य-स्तरीय निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी कमजोर हुई है।

5. सरपंच एवं पंच स्तर पर महिलाओं की भागीदारी में क्रमशः 1.9% और 6.1% की वृद्धि हुई है, जो जमीनी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण का संकेत देती है।

सिफारिशें

1. नेतृत्व पदों पर महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए — विशेष रूप से प्रधान और पंचायत समिति सदस्य जैसे पदों पर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण, प्रोत्साहन योजनाएं और आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए।
2. राजनीतिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि महिलाएं न केवल चुनाव लड़ें, बल्कि प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका निभा सकें।
3. पंचायतीराज संस्थाओं में लैंगिक समानता की निगरानी हेतु जिला स्तर पर समितियां गठित की जाएं जो महिला प्रतिनिधित्व के आंकड़ों का विश्लेषण कर समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
4. स्थानीय स्तर पर रोल मॉडल्स की कहानियों का प्रचार किया जाए जिससे नई पीढ़ी की महिलाएं प्रोत्साहित हों और राजनीतिक भागीदारी को अपनाएं।
5. राज्य सरकार और सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए विशेष नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को लागू किया जाए।

6.3 भविष्य के शोध के लिए संभावनाएं

इस अध्ययन से कई संभावित भविष्य के शोध क्षेत्र उभरते हैं:

- अन्य जिलों के साथ सिरोही जिले की तुलनात्मक अध्ययन, विशेष रूप से जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में।
- पंचायतीराज संस्थाओं में जनजातीय महिलाओं के नेतृत्व के प्रभाव और चुनौतियों का गहन विश्लेषण।
- जनजातीय प्रतिनिधियों द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं के प्रभाव और स्थायित्व का मूल्यांकन।
- डिजिटल तकनीक और ई-गवर्नेंस के उपयोग से पंचायतीराज संस्थाओं की प्रभावशीलता में सुधार की संभावनाओं का अध्ययन।
- जनजातीय युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए रणनीतियों और दृष्टिकोणों का विकास।

संदर्भ सूची:-

1. भाटिया, आर. (2018). राजस्थान में जनजातीय पंचायतों की चुनौतियां और संभावनाएं. जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय.
2. भारत की जनगणना. (2011). जनगणना 2011 - राजस्थान. भारत सरकार.
3. चौधरी, एल., & सिंह, पी. (2019). राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं में जनजातीय प्रतिनिधित्व का विश्लेषण. इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 28(2), 45-62.

4. गुप्ता, ए., & जोशी, एस. (2022). भारत में पंचायतीराज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व और नेतृत्व. जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, 15(3), 78-95.
5. कुमार, एस., & मीणा, आर. (2017). भारत में पंचायतीराज संस्थाओं में जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व. जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 36(1), 28-45.
6. मेहता, पी. (2020). राजस्थान में जनजातीय महिला पंचायत प्रतिनिधियों की चुनौतियां. वुमेन स्टडीज इंटरनेशनल फोरम, 42, 124-138.
7. मीना, एस. (2019). भारत में पंचायतीराज व्यवस्था: एक समीक्षात्मक विश्लेषण. इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 65(1), 38-52.
8. पांडेय, एम., & जोशी, टी. (2021). राजस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण की रणनीतियां. जर्नल ऑफ रूरल मैनेजमेंट, 14(2), 112-128.
9. रावत, एम., & पालीवाल, ए. (2021). सिरोही जिले में गरासिया जनजाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विश्लेषण. ट्राइबल स्टडीज रिव्यू, 9(1), 67-82.
10. राजस्थान पंचायतीराज विभाग. (2020). सिरोही जिला पंचायत प्रोफाइल. जयपुर: राजस्थान सरकार.
11. सिंह, आर., & मिश्रा, के. (2021). राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक विविधीकरण: एक अध्ययन. इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू, 56(3), 214-232.
12. सिंह, पी., & शर्मा, एस. (2018). राजस्थान के जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति. सोशल चेंज, 48(2), 245-264.
13. श्रीवास्तव, एन., & यादव, आर. (2020). भारत के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति: एक समीक्षात्मक विश्लेषण. इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशन, 46(2), 124-142.
14. वर्मा, एस. (2018). हाशिए के समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा विकास प्राथमिकताओं का निर्धारण: राजस्थान का एक केस स्टडी. डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस, 28(4), 548-562.